न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 368 / 2020

शिव शंकर मिश्र वगै0.....वादीगण।

बनाम्

शशिशेखर मिश्र वगै0..... .....प्रतिवादीगण।

आदेश

21.06.2023

उभ्य पक्षों की पैरवी है। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–22.03.2023 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वर्तमान वाद में अर्जी में कुछ त्रुटियां हो गई है जिसको सुधार करना आवश्यक है तथा अर्जी में कुर्सीनामा तथा कुछ जमीन भी छुट गई है जिसे जोड़ना आवश्यक है। उक्त संशोसन से इस मुकदमा का प्रकृति नहीं बदलता है और न ही प्रतिवादी को कोई परेशानी है। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में संशोधन करने का आदेश दिया जाये जाये।

प्रतिवादी के तरफ से दिनांक– 19.04.2023 को प्रतिउत्तर दाखिल करते हुये प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादीगण का आवेदन कानूनन एवं तथ्य के आधार सही नहीं है, बल्कि खारिज करने योग्य है तथा प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति में परिवर्तन होगा। तथा प्रतिवादी द्वारा दाखिल बयान तहरीरी निष्प्रभावी हो जायेगा तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि उनका आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा उक्त संशोधन सामान्य प्रकृति का है, जिससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वाद के उचित न्याय निर्णयन में सहयोगी है, परन्तु वादी सतर्कता रखते तो यह कार्य अलग से एवं पत्र के माध्यम से करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक– 22.03.2023 स्वीकृत करने योग्य है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 22.03.2023 अन्तर्गत आदेश 6 नियम नियम 17 सी0 प0 सी0 को मो0 पांच सौ रूपये के खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि खर्चे की अदायगी के पश्चात निश्चित समय के अंदर आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करें।

दिनांक– 19.07.2023 वास्ते सुनवाई।

लेखापित

ह0 / –

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)

सब जज प्रथम, डुमरॉव ।